

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विकिध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 06/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. किशनसिंह पुत्र धनेसिंह जाति रावत निवारी डिगो का बाडिया, रायरा खुर्द तह0 सोजत जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री रविन्द्रसिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।



-: निर्णय :-

दिनांक :- 29/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रायरा कलां खुर्द तहसील सोजत में प्रार्थी के खसरा नंबर 1620 रकबा 0.2500 है0 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 1622 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द के खसरा नंबर 1620 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख. नं. 1622 में से नया रास्ता दिलवाये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्याधिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1072

उपखण्ड अधिकारी  
सोजत, जिला-पाली

दिनांक 13.03.2024 को जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सांलग्न की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भूअभिलेखनरी गूडा बीजा, द्वारा तैयार फर्द मौका रुबरू प्रार्थी पत्रकार एवं मौतविरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख.नं.1620 में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक ख.नं. 1622 रकबा 4.84 हे० किरम गै०गु० मगस में से चाहा है। प्रार्थी वर्तमान में नजरी नक्शे में प्रस्तावित स्थान से ही आवागमन करता रहा है तथा नजरी नक्शे में विनिर्दिष्ट स्थान पर कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण है। प्रस्तावित रास्ते की मुख्य मार्ग ख.नं. 1613 किरम गै०गु० रास्ता से निकटतम दूरी लम्बाई × चौड़ाई =  $90 \times 4 = 360$  वर्गमीटर अर्थात् 0.0360 हे० है। जिसकी वर्तमान डी०एल०सी० कीमत 149315/- रुपये प्रति हेक्टर है। जिसके अनुसार  $(149315/- \text{ रु०} \times 2 \times 0.0360 \text{ हे०} = 10750.68/-$  रुपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतविरान के अगूजा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख०न० 1622 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भूअभिलेखनरी गूडा बीजा को मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया



बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द के खसरा नंबर 1620 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 1622 में से नया रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत रास्ते दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भूअभिलेखनरी गूडा बीजा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना

अत्याधिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1622 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

**आदेश :-**

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द के खसरा नंबर 1620 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 1622 में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि (149315/- रू0 × 2 × 0.0360 है0 = 10750.68/- रुपये प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किरम	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्लिदयत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रुपये में (डी0एल0सी की दौगुना)
01.	1622 गौ0मु0 मगरा	4.84 है0	राजस्थान सरकार	90 मी0 × 4 मी0 = 0.0360	10750.68 /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबदा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(कसमलता चौहान)  
 उपखण्ड अधिकारी, सोजत  
 साजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कसमलता चौहान)  
 उपखण्ड अधिकारी, सोजत  
 साजत, जिला-पाली